"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक् शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 मई 2002—वैशाख 12, शक 1924

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक 229/डी-15/17/2002-03/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, ग्राम मानपुर, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव में स्थित दो हेक्टेयर भूमि खसरा नंबर 10/7 को उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करती है जिसके अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में की गई कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है. उक्त अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन अधिसूचना पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है.

उप-मण्डी प्रांगण की सीमा

(1)	उत्तर में	-	गुहाराम गोंड की कृषि भूमि
(2)	दक्षिण में	-	नाला
(3)	पूरब में	-	मोहला मानपुर रोड
(4)	पश्चिम में	-	नाला

Raipur, the 30th April 2002

NOTIFICATION

No. 229/D-15/17/2002-03/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973), the State Government hereby declare that following place

including all structures, enclosures, the two hector land Khasra No. 10/7 in village Manpur, Tehsil Manpur, District Rajnandgaon including any structure enclosure open place or locality in Market area as a sub-market yard. The notification under Section 3 and 4 of the said Act has been previously published.

Boundary of Sub-market Yard

(1) On the North	:	Agriculture land of Guha Ram Gond.
(2) On the South	:	Nala
(3) On the East	:	Mohla Manpur Road.
(4) On the West	:	Nala

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.